## न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

प्रकरण क्रमांक ८४ / २०१५ सत्रवाद <u> संस्थित दिनांक. 27.02.2015</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-अभियोजन

#### बनाम

- नदीम खॉ पुत्र सलीम खॉ, उम्र 25 वर्ष।
- कदीर खॉ पुत्र सलीम खॉ, उम्र 20 वर्ष।
- सलीम खॉ पुत्र वावर खॉ, उम्र 50 वर्ष।
- कुरेशा पत्नी सलीम खॉ, उम्र 45 वर्ष।
- STIMBLE STATE OF STAT इल्यास पुत्र सलीम खॉ, उम्र 19 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम गोरियन टोला वार्ड क्रमांक 10 थाना मौ, जिला भिण्ड म०प्र०।

—अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कु० शैलजा गुप्ता के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 68/2015 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 84/2015 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण द्वारा श्री आर०सी० यादव अधिवक्ता।

/ / नि र्ण य//

/ / आज दिनांक 25-10-2016 को घोषित किया गया / /

आरोपीगण का विचारण धारा 304बी विकल्प में धारा 306 व 498ए भा.दं.वि. एवं 01. धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 02.12.2014 को रात्रि 08:30 बजे गोरियन टोला मौ जिला भिण्ड में मृतिका नजमा की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई जो कि पति एवं अन्य आरोपीगण पति के नातेदार होते हुए उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग को लेकर और इस संबंध में कूरता कर परिपीडन कारित करते हुए मृतिका की दहेज मृत्यु कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि मृतिका नजमा को दहेज की मांग को लेकर या अन्य प्रकार से परेशान एवं प्रताडित कर उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि मृतिका नजमा के पित व पित के नातेदार रहते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर व अन्य प्रकार से शारीरिक व मानिसक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक 02.12.2014 के पूर्व मृतिका नजमा व उसके पिता व परिवारवालों को दहेज की मांग की गई एवं दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया।

- 02. यह अविवादित है कि अविवादित है कि वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी नदीम मृतिका का पति है, आरोपी इल्यास व कदीर मृतिका के देवर है एवं आरोपिया कुरैशा व सलीम मृतिका की सास व ससुर है।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.12.2014 को 03. गोरियान टोला निवासी सलीम खॉ के द्वारा थाना मौ पर सूचना दी कि वह उक्त दिनांक को सुबह हार में खेतों पर पानी देने गया था तब उसके लडके कदीर ने फोन पर बताया कि उसकी भाभी नजमा ने छत के पंखा से रस्सी बांधकर फॉसी लगा ली है। तब वह अपने घर पर गया और देखा कि नजमा फांसी पर लटकी थी उसे परिवार के लोगों ने मिलकर उतारा व देखा नजमा खत्म हो चुकी है। उक्त सूचना पर से मर्ग क्रमांक 40/14 धारा 174 सी.आर. पी.सी. का कामय कर जॉच में लिया गया है। प्रकरण नव विवाहिता की मृत्यु से संबंधित होने से जॉच की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा की गई। दौराने जॉच शव पंचायतनामा बनाया जाकर सफीनाफार्म जारी किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया तथा घटनास्थल से एक रस्सी व रस्सी का एक टुकडा जप्त किया गया। एक दावतनामा कार्ड मृतिका की शादी का, एक रसीद निकाह ख्वानी शहर काजी का, दहेज की लिस्ट, एक पंचनामा जप्त किए गए साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। दौराने जॉच पाया गया कि मृतिका नजमा का विवाह आरोपी नदीम खाँ के साथ उसकी मृत्यु के 2 साल पहले सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद नजमा जब अपनी ससुराल से मायके आती थी तो अपने माता पिता व परिवार के अन्य लोगों को बताती थी कि ससुराल में उसके पति नदीम, देवर कदीर व इल्यास तथा सास व ससुर दहेज में और सामान लाने की मांग करते है और उसे मारपीट कर परेशान करते थे। घटना के पहले भी उनकेद्वारा मृतिका से दहेज की मांग की गई। जिस कारण नजमा के द्वारा परेशान होकर फॉसी लगा ली गई। नजमा की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा होनी पाए

जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पाए जाने से अप०क० 394/2014 धारा 304बी भा0दं0वि० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 04. आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी विकल्प में धारा 306 व 498ए भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।
- 06. 💉 आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—
  - क्या दिनांक 02.12.2014 को रात्रि 08:30 बजे गोरियन टोला मौ जिला भिण्ड स्थिति आरोपीगण के घर में मृतिका नजमा की मृतिका की मृत्यु हुई?
  - 2. क्या मृतिका नजमा की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई?
  - 3. क्या मृतिका नजमा की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा अस्वभाविक रूप से हुई है?
  - 4. क्या मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण जो कि उसके पति व पति के नातेदार है के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित कर उसके प्रति कूरता की गई?
  - 5. क्या मृतिका की मृत्यु दहेज मृत्यु है?
  - 6. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका नजमा को आरोपीगण के द्वारा परेशान व प्रताडित कर उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया?
  - 7. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 02.12.2014 के पूर्व मृतिका नजमा के पित व पित के नातेदार रहते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर व अन्य प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की?

8. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका नजमा व उसके पिता व परिवारवालों को दहेज की मांग एवं दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया?

# –ः सकारण निष्कर्षः–

## बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3 :-

- डॉक्टर राहुल अ०सा० 5 के द्वारा दिनांक 02.12.2014 को सी०एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान मृतिका नजमा पत्नी नदीम खॉ, निवासी गोरियन टोला मौ का शव परीक्षण किया गया था। बाह्य परीक्षण- मृतिका चित्त अवस्था में लेटी थी जिसके शरीर में अकडन की शुरूआत हो चुकी थी तथा उसका पूरा शरीर नीलापन आ गया था। मृतिका के गले में फंदे का निशान दिख रहा था, मुंह से सूखी हुई लार लगी थी। मृतिका के गलें में रस्सी के निशान की जगह पर जो त्वचा थी वह छिली हुई थी तथा फंदे के निशान की जगह अंदर छोटी छोटी नशे फटी हुई पाई गई थी तथा मास भी फटा हुआ पाया गया था। **आंतरिक परीक्षण**— मृतिका का मस्तिष्क और सिल्ली कंजेस्टेड थी, पर्दा, पसली, फुसफुस हेल्दी थ तथा कंठ व स्वांसनली में पतला तरल पदार्थ मौजूद था। मृतिका के दांया व वांया फेंफडा सुकडे हुए थे, पेरियोन परकनसिथेन था, हृदय के दाहिने चेम्बर में काला खून जमा था और वांया चेम्बर खाली था। नसों में खून भरा हुआ था। पर्दा, आंतो की झिल्ली, मुंह, ग्रासनली, पेट के अंदर की झिल्ली हेल्दी थी तथा गेस भरी हुई थी। आंतों के अंदर अधपचा भोजन, बडी आंत में मल मौजूद था। मृतिका का लीवर, प्लीहा, यकृत, गुर्दी सिकुडे हुए थे, मृतिका में पेशाब भरी हुई थी तथा भीतरी व बाहरी जनइन्द्रियाँ खरेंथ थी। साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया गया है कि मृतिका के गले में जो फंदा था वह मृत्यु के समय का था। मृतिका की मृत्यु का समय पी.एम से 12 घण्टे के अंदर का था। फंदें के नीचे की त्वचा, स्वांसनली का कुछ अंश हड्डी का भाग सली करके एफ एस एल को जॉच हेतु भेजा था। उनके मतानुसार मृतिका की मृत्यु फांसी एक्सपीसिया (गला घुटना) से हुई थी जो कि फांसी पर लटकने हेगिंग के कारण हुई थी। उनके द्वारा तैयार शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।
- 08. मृतिका नजमा की मृत्यु के उपरांत उसकी लाश का पंचायतनामा, सफीनाफार्म जारी कर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा अ०सा० 08 के द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने कि अपने साक्ष्य कथन में मृतिका नजमा की लाश को पंचायतनामा बनाने हेतु पंचों को तलब कर सफीनाफार्म प्र.पी. 5 तैयार करना बताया है। मृतिका की लाश का पंचायतनामा तत्कालीन नायब तहसीलदार मौ दुर्गसिंह मौर्य के द्वारा तैयार किया गया है

जिसे कि साक्षी फिरोज अ०सा० 4 के द्वारा प्र.पी. 6 के रूप में प्रमाणित किया गया है जिसके कि उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। जिसके अनुसार लाश छत के उपर वाले कमरे में तख्त पर चित अवस्था में पड़ी थी। मृतिका की मृत्यु पंचों की राय में फांसी लगाने के कारण होना पाया गया था। मृतिका की ऑखें अधखुली थी और गर्दन पर रस्सी के लाजमी निशान दिख रहे थे तथा महिला पंच के द्वारा उसके गुप्तांगों पर भी कोई बाहरी चोट नहीं दिख रही थी।

- 09. मृतिका नजमा को मृत अवस्था में फॉसी पर लटका हुआ देखना साक्षी शराफत खॉ अ०सा० 2, फिरोज अ०सा० 4 तथा मृतिका को मृत अवस्था में देखना साक्षी आजाद खॉ अ०सा० 1 के द्वारा भी बताया गया है। साक्षी फिरोज अ०सा० 4 के द्वारा विवेचनाधिकरी केद्वारा सफीनाफार्म प्र.पी.5 लाश पंचायतनामा प्र.पी.6 जो कि साक्षियों के द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- 10. इस प्रकार मृतिका नजमा की मृत्यु फांसी लगाने फलस्वरूप एक्सपीसिया (गला घुटने) से होना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। मृतिका की मृत्यु किसी दुर्घटना के अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में अथवा किसी बीमारी आदि से हुई हो ऐसा भी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। ऐसी दशा में जबिक मृतिका की मृत्यु फांसी लगाने से होनी बताई गई है जो कि मृतिका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में होना नहीं कहा जा सकता है, बिल्क उसकी मृत्यु अस्वभाविक परिस्थितियों में होनी पाई जाती है।
- 11. मृतिका का विवाह आरोपी नदीम खॉ के साथ होना अविवादित हैं जो कि उसकी मृत्यु के 02 साल पहले उसका विवाह आरोपी नदीम खॉ के साथ होना साक्षी आजाद खॉ अ0सा0 1 जो कि मृतिका पिता है, साक्षी फिरोज अ0सा0 4 जो कि मृतिका का भाई है के द्वारा मृतिका का विवाह ढाई साल पहले होना बताया गया है, जिस संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। मृतिका के विवाह की दावत के संबंध में दावतनामा, निकाह की रशीद, शादी की दहेज की लिस्ट व पंचनामा कागज पर लिखा हुआ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा अ0सा0 08 के द्वारा जप्त की गई है जो कि उक्त दस्तावेज की जप्ती प्र.पी. 13 के अनुसार करना बताई गई है। इस प्रकार मृतिका के विवाह की दावत के संबंध में दावतनामा जो कि विवाह के एक दिन पहले दी गई है उसमें भी दावत की दिनांक मुबारिक मौके पर बरोज इतवार तारीख 21.10.2012 को दावत दी गई है तथा रसीद निकाह ख्वानी में में भी शादी की दिनांक 22.10.2012 को मृतिका नजमा का निकाह आरोपी नदीम खॉ के साथ होना स्पष्ट होता है। मृतिका की मृत्यु दिनांक 02.12.2014 को हुई है। इस प्रकार विवाह के 2 वर्ष 2 माह के अंदर मृतिका की मृत्यु होनी प्रमाणित है। इस प्रकार मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर होनी प्रमाणित है।

- बिन्दु कमांक 4 लगायत 8 :- दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया 12. है जिसके अनुसार- 'जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ कूरता की थी या उसके तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981 की धारा 2 में है
- 🕢 इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करता है जिसके अनुसार— ''जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशाान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की।"
- इस प्रकार धारा 304बी भा0दं0वि० हेतु आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार है-14.
  - किसी स्त्री की मृत्यु दाय या शारीरिक क्षति के द्वारा या सामान्य परिस्थिति के 1. अन्यथा कारित हुई हो।
  - मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई हो। 2.
  - मृत्यु पूर्व उसके पति या पति के किसी नातदार के द्वारा उसके साथ कूरता की 3. गई हो या उसे तंग किया गया हो।🚵
  - उक्त कूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की मॉग को लेकर या उसके संबंध 4. में किया गया हो।
  - इस प्रकार की कूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया 5. गया हो।

यदि उपरोक्त तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो दहेज मृत्यु कही जायेगी और ऐसा पति या पति के नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जायेगा।

धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981 जिसके अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो कि विवाह के समय याउसके पर्वू या उसके पश्चात् पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को या तो दी गई हो या दी जाने का करार किया गया है उसे दहेज कहते है, लेकिन इसमें मेहर शामिल नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रावधान के अंतर्गत दहेज की मांग केवल विवाह के पूर्व या विवाह के समय तक सीमित नहीं है विवाह के वाद भी मांग उसमें शामिल है। विवाह संपन्न होने के बाद की गई मांग भी दहेज मानी जायेगी, जैसा कि इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश वि० राजगोपाल ए.आई.आई.आर 2004 एस.सी. 1933 में स्पष्ट किया है।

- 16. उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्शाए गए आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत दहेज में मृत्यु की उपधारणा की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।
- 17. प्रकरण में पूर्ववती विवेचना से स्पष्ट है कि मृतिका नजमा की मृत्यु फांसी लगाने के कारण एक्सपीसिया (गला घुटने) के कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर होना प्रमाणित है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या मृतिका नजमा की मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपी जो कि उसका पित एवं पित के नातेदार है उनके द्वारा दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में मृतिका को तंग कर कूरता का व्यवहार किया गया? वैकल्पिक रूप से यह भी विचारणीय है कि क्या किसी दुष्प्रेरण के फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई?
- 18. दहेज मृत्यु के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद होने की अपेक्षा साधारणतः नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की घटना घर के चार दीवारों के अंदर होती है और वहाँ पर कोई चक्षुदर्शी साक्षी घटना देख रहा हो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस संबंध में मृतिका के मायके पक्ष के जिनको कि मृतिका के द्वारा इस संबंध में बताया गया है उनके साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
- 19. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी आजाद खॉ अ०सा० 1 जो कि मृतिका का पिता है, फिरोज अ०सा० 4 जो कि मृतिका का भाई है तथा शराफत अ०सा० 2, जो कि मृतिका का मामा है तथा साक्षी रिजवान उर्फ छोटू अ०सा० 3 जो कि मृतिका के मायके पक्ष के मोहल्ले का रहने वाला है के कथन अभियोजन के द्वारा कराए गए है।
- 20. साक्षी आजाद खॉ अ०सा० 1 के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के कथन में कहीं भी मृतिका नजमा की मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी

के द्वारा दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर मृतिका नजमा को परेशान व प्रताडित करने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में इस बिन्दु पर कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार से परेशान व प्रताडित किया गया हो उक्त बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता है। अन्य अभियोजन साक्षी फिरोज अ०साँ० ४ जो कि मृतिका का भाई है उसके साक्ष्य कथन में भी मृतिका को मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार से परेशान या प्रताडित किए जाने अथवा मृतिका के द्वारा उक्त बात उन्हें बताई जाने बावत् कोई भी तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा इस बिन्दु पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसी प्रकार साक्षी शराफत खॉ अ०सा० 2, रिजवान अ०सा० 3 जो कि मृतिका के मामा व मोहल्ले के नाते भाई है के कथनों में भी मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे दहेज की कोई मांग करना अथवा दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान या प्रताडित किये जाने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षीगण को भी पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों के कथनों में मृतिका नजमा से दहेज की मांग को लेकर उसे मृत्यु के ठीक पूर्व परेशान व प्रताडित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन अथवा पुष्टि नहीं होती है।

21. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि मृतिका की मृत्यु शादी के 2 वर्ष के भीतर उसकी ससुराल के घर में हुई है। घटना के पूर्व मृतिका को उसके ससुरालजनों / आरोपीगण के द्वारा परेशान व प्रताडित किये जाने तथा उसे दहेज की मांग के संबंध में पंचनामा भी बनाया गया है जिसमें कि उन्होंने भविष्य में परेशान व प्रताडित न करने तथा उससे किसी प्रकार की मांग न करने के संबंध में लिखा गया है और इस आधार पर उसे ससुराल पहुँचाया गया था, जो कि पंचनामा प्र.पी. 13 की जप्ती विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 8 के द्वारा प्रमाणित की गई है। शादी के पश्चात् इतने कम समय के अंदर उसकी मृत्यु का तथ्य इस स्थिति को दर्शाता है कि उसको उसके पित व पित के पिरवारजन के द्वारा प्रताडित किया गया है। प्रकरण में रस्सी की जप्ती हुई है तथा मृतिका के गले में रस्सी का निशान होना भी चिकित्सक के द्वारा पुष्ट किया गया है। ऐसी दशा में उक्त पिरिस्थितियों के आधार पर मृतिका की दहेज हत्या की गई है और धारा 113 भा.दं.वि के अनुसार अपराध में आरोपीगण के संलग्न होने के संबंध में उपधारणा की

जाएगी।

- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। मृतिका नजमा को आरोपीगण के द्वारा 22. परेशान और प्रताडित किया जाना और उससे दहेज की मांग कर प्रताडित किये जाने के संबंध में प्र.पी. 13 का जप्ती पंचनामा जो कि अनुसंधान एवं जप्तीकर्ता अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ०सा० ८ के द्वारा पंचनामा जिसमें कि लड़की नजमा को मारपीट न करने और पैसे, सामान आदि की डिमाइण्ड न करने का उल्लेख करते हुए पंचनामा लिखा जाना बताया गया है जो कि जप्तीपत्रक प्र.पी. 13 के अनुसार जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा जप्त किया गया है। इस संबंध में बनाए पंचनामा जो कि जप्तीपत्रक के अनुसार जप्त किया जाना बताया गया है। उक्त पंचनामा का जहाँ तक प्रश्न है, पंचनामे को अभियोजन के द्वारा किसी भी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं कराया गया है। उक्त पंचनामा जिस पर कि पार्षद की शील लगी हुई है और अन्य साक्षी भी पंचनामा के लिखते समय मौजूद होने बताए गए है जिनके कि हस्ताक्षर पंचनामा पर है। उक्त पंचनामा को प्रमाणित कराने के लिए पंचनामा लेखक अथवा किसी अन्य साक्षी को जिनके सामने पंचनामा बनाया गया है को अभियोजन के द्वारा पेश नहीं किया गया है। यद्यपि पंचनामा में इस बात का उल्लेख है कि लडकी नजमा को उसकी ससुराल पक्ष के लोग परेशान व प्रताडित नहीं करेगें और उसे किसी प्रकार की पैसे, सामान आदि की मांग नहीं करेगें और इस आधार पर उसे ससुराल पहुँचाए जाने का उल्लेख है। पंचनामा के संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि वह विधिवत प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में जबिक पंचनामा विधिवत प्रमाणित नहीं है उसके आधार पर नजमा को आरोपीगण के द्वारा परेशान प्रताडित किये जाने व उससे दहेज की मांग करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- 23. यद्यपि यह सत्य है कि मृतिका की मृत्यु अपने ससुराल के घर में फांसी लगाने के फलस्वरूप होनी पाई गई है, किन्तु प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर कहीं भी मृतिका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपगण या किसी आरोपी के द्वारा परेशान व प्रताडित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है और इस आशय की भी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि मृतिका को आत्महत्या करने के लिए आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस परिस्थिति के आधार पर कि उसकी मृत्यु उसके ससुराल के घर में हुई है एवं रस्सी की जप्ती की गई है और चिकित्सक के द्वारा भी मृतिका के गले में निशान होना बताया गया है, यह ऐसी नहीं है जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध की प्रमाणितकता युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित मानी जा सके। इस प्रकार उक्त परिस्थितियों के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणित सिद्ध होनी नहीं मानी जा

### सकती है।

- 24. मृतिका नजमा को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में धारा 306 भा0दं0वि0 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे दण्ड के संबंध में प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण को धारा 107 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण तीन प्रकार से हो सकता है। (i) उकसाने द्वारा (ii) षड्यंत्र द्वारा (iii) साशय, सहायता या लोप के द्वारा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में कोई भी ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया हो जो कि इस बिन्दु पर प्रकरण में न तो कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इस बात की कोई पुष्टि होती है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका नजमा को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है।
- 25. मृतिका नजमा को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने के संबंध में भी कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि मृतिका को आत्महत्या करने के लिए आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया हो और दुष्प्रेरण के फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या की गई हो।
- 26. जहाँ तक मृतिका नजमा के पित व पित के नातेदारों होते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर या अन्य प्रकार से शारीरिक और मानिसक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति कूरता कारित किये जाने जिस कारण उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, इस बिन्दु पर भी कोई ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि इस बात की पृष्टि होती हो कि मृतिका नजमा से आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दिनांक 02.12.2014 के पूर्व दहेज की कोई मांग की गई हो और दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानिसक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति कूरता कारित की गई हो। मृतिका को मृत्यु कारित करने के लिए आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की किसी साक्ष्य के आधार पर पुष्टि नहीं होती है। ऐसी दशा में मृतिका नजमा को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानिसक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति कूरता किये जाने के तथ्य भी उपलब्ध अभियोज साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।
- 27. मृतिका नजमा से या उसके पिता व परिवार वालों से उसके विवाह के समय या विवाह के उपरांत आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज के संबंध में नगदी या वस्तु आदि की मांग करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। इस संबंध में आजाद खॉ

अ0सा0 1 ने नजमा के विवाह के समय अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देना बताया है, किन्तु कोई दहेज की मांग आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा विवाह के समय या विवाह के उपरांत की गई हो ऐसा कहीं भी अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में नहीं आया है। विवाह के समय यदि कोई दान दहेज आदि दिया भी गया है तो वह स्वेच्छया उसके परिवार वालों के द्वारा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई मांग इस संबंध में की जानी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह 28. प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है कि मृतिका नजमा को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में किसी प्रकार से प्रताडित कर उसके प्रति कूरता का व्यवहार किया गया। प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर वैकल्पिक रूप से लगाए गए आरोप कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को उसके विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर या अन्य किसी प्रकार से परेशान या प्रताडित कर उसके प्रति कूरता किया जाना अथवा मृतिका या उसके परिवारवालों से विवाह के समय या विवाह के उपरांत दहेज की कोई मांग करने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन अपना प्रकरण 29. आरोपीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपीगण को आरोपित धारा 304बी विकल्प में धारा 306 व 498ए भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा रस्सी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की 30. जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

्रा । ्राण्यपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)